26

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर
समक्षः—श्री एस0 एस0 अली
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1208—चार / 2008 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 25.09.08 के द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक 1163 / अपील / 07—08

....

1.मुस.सुखमन्ती बेवा स्वर्गीय रामखेलावन कुर्मी
2.तुलसीराम कुर्मी पिता स्वर्गीय रामखेलावन कुर्मी
3.सालिकराम राम कुर्मी पिता स्वर्गीय रामखेलावन कुर्मी
सभी निवासी—ग्राम बहरैचा तहसील त्योथर जिला—रीवा म0प्र0

......................आवेदकगण

विरूद्ध

1.जवाहरलाल तनय श्री गजरुप
निवासी ग्राम पथरहिया तहसील त्योथर.
जिला—रीवा म0प्र0

.........................अनावेदक

....

श्री मुकेश भार्गव, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी, अभिभाषक, अनावेदकगण

....

आदेश
(आज दिनांक 21-12-17 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के विरूद्ध आदेश दिनांक 25—09—08 के विरुद्ध मध्य प्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2—प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि आराजी क्रमांक 30 / 4 रकवा 1.53 एकड़ एवं भूमि कमांक 57 रकवा 1.22 एकड़ स्थित ग्राम बहरैचा तहसील त्योंथर जिला रीवा के स्वत्व अधिपत्य की पुस्तैनी आराजियात हैं। आवेदिका कमांक —1 के पति आवेदक कमांक 2,3 के पिता रामखेलावन की मृत्यु हो चुकी है। उक्त आराजियात के राजस्व अभिलेखों में पूर्व में

रामखेलावन का नाम दर्ज रहा है तथा रामखेलावन की मृत्यु के बाद आवेदकगण का नाम दर्ज अभिलेख हैं अनावेदक द्वारा आवेदिका के पति की जगह फर्जी व्यक्ति को खड़ा करके तथा फर्जी ऋण पुस्तिका तैयार करके दिनांक 6.10.98 को फर्जी विक्रयपत्र तैयार करके अपने नाम एक पक्षीय तौर पर आवेदकगण की गैर जानकारी में फर्जी प्रकरण क्रमांक 44 / अ–6 / 98–99 निर्णय दिनांक 29.3.99 नामांतरण करा लिया है जो आवेदकगण के हित के विरूद्व अवैधानिक व शून्य हैं। अपर कलेक्टर जिला रीवा ने दिनांक 8.9.2008 के द्वारा निरस्त की गई इससे दुखित होकर जवाहर लाल द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जो उनके द्वारा अंतिरिम आदेश दिनांक 25.9.08 को स्थगन जारी करते हुये दिनांक 19.11.08 पेशी नियत की गई। इसी से दुखित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3–उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने। प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। अध्ययन से स्पष्ट है कि अपर आयुक्त रीवा द्वारा दिनांक 25.9.08 सुविधा का संतुलन आवेदक के पक्ष में होने से स्थगन जारी किया गया था। अतः अपर आयुक्त द्वारा दिया गया स्थगन निरस्त किया जाता है तथा इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि प्रकरण का निराकरण उभयपक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान करते हुये गुणदोषों पर निराकरण किया जावे। आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर